राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1773/2025

आईशा सिद्दीकी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, आयुष (यूनानी) चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक, यूनानी, सिद्धा एवं हाम्योपैथी (आयुष) चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, यूनानी चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. फारूख खान, एसएमओ–II, जरिये निदेशक यूनानी चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.01.2025
आदेश की दिनांक : 10.03.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रवीण शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी के पद पर राज. यूनानी औषधालय सांभर लेक, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से ब्लॉक आयुष चिकित्सालय सूरजगढ़ झुन्झुनूं किया गया है। अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को स्थानांतरित किया गया है। निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को इससे पूर्व आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा राजकीय यूनानी औषधालय तोपखानादेश जालूपुरा, जयपुर से राजकीय यूनानी औषधालय, फूलबास, तिजारा स्थानान्तरित किया गया था परन्तु इसके आठ माह पश्चात ही निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के उद्देश्य से वापस कर दिया गया। अपीलार्थी और उसकी सास मधुमेह एवं ह्रदय रोग से पीड़ित है। चिकित्सकीय दस्तावेज अनुलग्नक–3 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण 250 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी के दो बच्चे जो उसके पदस्थापित स्थान पर ही अध्ययनरत है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2024 को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्य करने दिया जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)